IN THE COURT OF PRINCIPAL DISTRICT JUDGE
BHOJPUR AT ARA

Presiding Officer- Sri Purushottam Mishra

Testamentary Suit No.232 of 2026

Badaruddin Nisha Vs Collector Bhojpur

Date of Order Proceeding	Order with Signature of the Court	Office action taken with date
04.04.2026	वादी की कोई पैरवी नहीं है। वाद पुकारा गया है। पुकार पर वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। पुनः वाद पुकारा गया। बार–बार पुकार पर वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अभिलेख मेरे समक्ष प्रस्तुत हुआ। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा यह वाद भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम–1925 के अंतर्गत वसियत और प्रशासन प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु दाखिल किया गया था। भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम–1925 की धारा–268 प्राथमिक धाराएं हैं जो सिविल प्रकिया 1908 के अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही पर लागू होती है। धारा–268 (वसियत और प्रशासन प्रमाण–पत्र के संबंध में जिला न्यायाधीश की कार्यवाही करने का प्रावधान है) वसियत और प्रशासन प्रमाण–पत्र के संबंध में जिला न्यायाधीश का न्यायालय की कार्यवाही सामान्यतः सिविल प्रकिया संहिता–1908 द्वारा विनियमित होती है जबतक की अधिनियम निर्दिष्ट न करे। वादी दिनांक–19.05.2022 से इस वाद में कोई पैरवी नहीं कर रहे हैं। एवं नाहीं न्यायालय में पुकार पर उपस्थित है। जिससे स्पष्ट होता है कि वादी को इस वाद में कोई अभिरुचि नहीं है। ऐसी स्थिति में सिविल प्रकिया संहिता 1908 का आदेश–09 नियम–03 के अंतर्गत वाद को खारिज किया जाता है। कार्यालय अग्रिम कारवाई उपरांत अभिलेख अभिलेखागार में संचित करें। पुरूषोत्तम मिश्र प्रधान जिला न्यायाधीश	